धारा 26 : माना गया रजिस्ट्रीकरण

(1) राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनिमय के अधीन रजिस्ट्रीकरण या विशिष्ट पहचान संख्यांक को मंजूर किया जाना, इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि रजिस्ट्रकरण या विशिष्ट पहचान संख्यांक के लिए आवेदन धारा 25 की उपधारा (10) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर खारिज नहीं किया गया है, इस अधिनिमय के अधीन रजिस्ट्रीकरण या विशिष्ट पहचान संख्यांक का मंजूर किया जाना समझा जाएगा।

(2) धारा 25 की उपधारा (10) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य माल और सेवा कर अधिनिमय या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनिमय के अधीन रजिस्ट्रीकरण या विशिष्ट पहचान संख्यांक के लिए आवेदन का खारिज किया जाना, इस अधिनिमय के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन का खारिज किया जाना समझा जाएगा।